न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 793/2025

हरजीराम पुत्र देवाराम जाट
बनाम
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

दिनांक 25.02.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर (बाडमेर) द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 132 आरएलआर एक्ट के तहत तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के प्रस्ताव दिनांक 18.05.23 एवं संशोधित प्रस्ताव कमांक 2898 दिनांक 19.12.2023 के कम में दर्ज राजस्व आवेदन संख्या 242/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री एम0एल0 खत्री एवं रेस्पो0 की ओर से श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील बाडमेर ग्रामीण स्थित ग्राम खेमावास के उल्लेखित खसरा नम्बरान में से उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त खसरान में से अपीलांट की खातेदारी खसरा नम्बर 959/605 रकबा 2.8895 है0 भूमि में से 0.0599 है0 तथा ख0नं0 952/605 रकबा 1.2221 है0 भूमि में से 0.0491 है0 भूमि में रास्ते का आदेश पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं उजर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की उक्त खातेदारी खसरान की भूमि में दोनों तरफ रास्ता काटा गया है, जबकि खसरा नम्बर 761/688 में से रास्ता नही काटा गया है। मौके पर कोई रास्ता चलायमान नही है। ग्रा0पं0 द्वारा आपसी रंजिश से गलत रिपोर्ट तैयार करवाकर रास्ता प्रस्तावित किया गया है। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार के पत्र दिनांक 19.12.23 द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0नं0 609 के लिए रास्ता निकालने हेतु आवेदन किया गया था, लेकिन बाद में ख0नं0 609 के खातेदार के प्रभाव से उक्त खसरे को प्रस्ताव से निकाल दिया गया अर्थात संशोधन कर उसे हटा दिया गया तथा अपीलांट के खेत खसरान के दोनो तरफ से रास्ता काट दिया गया। ख0नं0 761/688 में से यदि रास्ता सीधा लिया जाता, तो वह आगे के रास्ते से जुड़ जाता, जो रास्ता नजदीक है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधिविरूद्ध होने से अपीलांट के ख0नं0 959/605 तथा ख0नं0 952/605 की हद तक अपास्त कर, राजस्व नक्शें मे अमल–दरामद को निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि रास्ते का प्रस्ताव राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र कमांक 24.8.16 व 10.8.16 के तहत मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के संलग्न ग्रा0पं0 गालाबेरी की सहमति तथा रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता बारहमासी होने तथा प्रदर्श बिन्दु मार्ग पर ग्रेवल/डाम्बर सडक होने एवं काश्कारों की सहमति होने का उल्लेख किया गया है। अतः प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया तथा प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्र दिनांक 18.5.23 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं पत्र कमांक 2898 दिनांक 19.12.23 द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव एवं नजरी नक्शें का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश ''प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023'' केम्प कोर्ट में पारित किया गया है। अपीलांट का कथन है कि उसकी खातेदारी ख0नं0 952/605 के दोनो तरफ एवं बीच तीरछा रास्ता काटा गया है, जबकि उक्त रास्ता सीधा भी काटा जा सकता था। उक्त खसरान में दूसरी तरफ का रास्ता ख0नं0 609 में पहुंच हेतु काटा गया है, जबकि इसमें पूर्व से रास्ता मौजूद है। जो संलग्न नक्शें से साबित हैं। अपीलांट का यह भी कथन है कि आलौच्य प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही मिला और ना ही उसकी सहमति ली गई। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपीलांट के खसरान की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत समझा गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 242/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2024 को अपीलांट के खसरा नम्बर 952/605 व 959/605 की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण

विशेष सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट एवं संबंधित खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 25-2-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर